महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 2721 /प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 20/3/2024

प्रति,

सचिव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
वल्लभ भवन भोपाल

विषयः– शासकीय सेवकों की 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि की स्वीकृति।

संदर्भः– म.प्र.शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल का परिपत्र क्र. एफ 8–1/2024/नियम/चार भोपाल दिनांक 15 मार्च 2024(प्रतिलिपि संलग्न)

––0––

कृपया संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें शासकीय सेवकों की 30 जून/31 दिसंबर की सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में कंडिका 2 एवं 3 में निम्नानुसार उल्लेख हैः–

> 2/माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों के दृष्टिगत समग्र विचार उपरांत एतद द्वारा निर्णय लिया जाता है कि 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुये शासकीय कर्मचारी जिनके प्रकरण न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर उद्भूत हैं, को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन में काल्पनिक (Notionally) वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाये। यह काल्पनिक वेतनवृद्धि केवल पेंशन के निर्धारण/पुनरीक्षण की गणना के लिये ही मान्य होगी।
>
> 3/माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में उपर्युक्त कंडिका–2 के अनुसार स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग को स्वयं निर्णय कर आदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

विषयांकित मुद्दे से संबंधित इस कार्यालय के संज्ञान में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्र.4349/2023 (धरमपाल सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक** 11.07.2023 **(प्रतिलिपि संलग्न)** है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र पाया जाता है तो, उसे सेवानिवृत्ति के पूर्व अंतिम वेतनवृद्धि का लाभ देते हुये बढ़ी हुई पेंशन राशि दी जाना चाहिये किन्तु बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान उसे प्रथम रिट याचिका दायर करने के 03 वर्ष पूर्व से ही किया जाना चाहिये।**

यदि मान्य हो तो शासन स्तर से वेतनवृद्धि स्वीकृत करते समय उक्त न्यायालयीन निर्णय को संज्ञान में लिया जा सकता है तथा उचित पाये जाने पर उक्त निर्णय से म.प्र.शासन वित्त विभाग, को भी अवगत कराया जाना प्रस्तावित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

20.3.2024

प्रमुख अभियंता

पृ0क्रमांक 2721 /प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 20/3/2024

प्रतिलिपिः–

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जलभवन बाणगंगा भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकृति के प्रकरणों के स्वीकृति प्रस्ताव शासन की ओर भेजते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "धरमपाल सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य" में पारित निर्णय को ध्यान मे रखा जावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

20.3.2024

प्रमुख अभियंता

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्र. F 8-1 /2024/नियम/चार भोपाल, दिनांक 15 मार्च, 2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय सेवकों की 30 जून / 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि की स्वीकृति ।

--

म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 की कंडिका-9 के अनुसार राज्य शासन के सभी शासकीय सेवकों हेतु संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतनवृद्धि की तारीख समान रूप से 01 जुलाई तथा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 की कंडिका-10 में अगली वेतनवृद्धि हेतु प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई निर्धारित हैं ।

2/ मान. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों के दृष्टिगत समग्र विचार उपरांत एतद द्वारा निर्णय लिया जाता है कि 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत हुये शासकीय कर्मचारी जिनके प्रकरण न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर उद्भूत हैं, को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन में काल्पनिक (Notionally) वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाये । यह काल्पनिक वेतनवृद्धि केवल **पेंशन के निर्धारण / पुनरीक्षण** की गणना के लिये ही मान्य होगी ।

3/ मान. न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में उपर्युक्त कंडिका -2 के अनुसार स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग को स्वयं निर्णय कर आदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. F 8-1 /2024/नियम/चार भोपाल, दिनांक 15 मार्च, 2024

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. वित्त मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
6. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
8. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
9. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
11. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
16. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल

17. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
18. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
19. सचिव, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
20. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
21. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
23. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
24. संचालक पेंशन , भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।
25. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
26. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
27. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
28. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
29. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

30. गार्ड फाईल ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 4349 OF 2023
(Arising out of SLP(C) No.2646/2020)

DHARAM PAL SINGH Appellant(s)

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. Respondent(s)

ORDER

Leave granted.

The appellant's plea in this appeal is for pension factoring within the same the annual increment he would have been entitled to. This plea has been rejected on the ground of delay. The appellant had superannuated from the post of Finance and Account Officer attached to the Office of the District Inspector of Schools on 30th June, 2004.

The writ petition in this regard was filed by him on 20th September, 2019. Learned counsel for the appellant has relied on the decision of *Union of India & Ors. Vs. Tarsem Singh [(2008) 8 SCC 648]* to contend that the cause of action for claiming pension is recurrent in nature and he ought not to have been non-suited on the ground of delay alone.

Signature Not Verified
Digitally signed by SNEHA DAS
Date: 2023.07.14 17:00:12 IST
Reason:

In such circumstances, we set aside the impugned order and direct that the appellant may be

given enhanced pension, if he is so entitled to, by giving him the benefit of his last increment before his superannuation but the enhanced amount shall be disbursed to him from the year 1st July, 2016.

The present appeal stands disposed of in the above terms.

Pending application(s), if any, shall also stand disposed of.

....J.
[ANIRUDDHA BOSE]

....J.
[SANJAY KUMAR]

NEW DELHI;
JULY 11, 2023.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE GURPAL SINGH AHLUWALIA

ON THE 24th OF JULY, 2023

WRIT PETITION No. 17459 of 2023

BETWEEN:-

CHANDRA SHEKHAR CHOUREY S/O LATE GOVIND RAM CHOUREY, AGED ABOUT 73 YEARS, OCCUPATION: RETIRED GOVT. SERVANT R/O 49, AZAD NAGAR, RAMESHWAR WARD, KHANDWA (MADHYA PRADESH)

.....PETITIONER

(BY SHRI SHASHANK UPADHYAY - ADVOCATE)

AND

1. THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH ITS PUBLIC HEALTH AND ENGINEERING DEPARTMENT VALLABH BHAWAN BHOPAL (MADHYA PRADESH)

2. THE CHIEF ENGINEER, PUBLIC HEALTH AND ENGINEERING DEPARTMENT JALBHAVAN BAAN GANGA, BHOPAL (MADHYA PRADESH)

3. THE SUPERINTENDENT OF ENGINEER, PUBLIC HEALTH AND ENGINEERING DEPARTMENT KHARGONE KHARGONE (MADHYA PRADESH)

4. THE CHIEF ENGINEER, PUBLIC HEALTH AND ENGINEERING DEPARTMENT CIRCLE INDORE (MADHYA PRADESH)

5. THE EXECUTIVE ENGINEER, PUBLIC HEALTH AND ENGINEERING DEPARTMENT, KHANDWA DISTRICT KHANDWA (MADHYA PRADESH)

.....RESPONDENTS

(BY SHRI ANUBHAV JAIN - GOVERNMENT ADVOCATE)

This petition coming on for admission this day, the court passed the following:

ORDER

By the instant petition, the petitioner is claiming that he stood retired on

Signature Not Verified
Signed by: TRUPTI GUNJAL
Signing time: 25-07-2023
18:55:17

30.06.2010. The annual increment was to be added on 1st of July of that year, but he was not granted the said benefit.

2. Learned counsel for the petitioner submits that the issue involved in the present case has already been settled by the Supreme Court recently in **Civil Appeal No.2471/2023 (The Director {Admn. and HR} KPTCL and Ors Vs. C.P. Mundinamani and Ors)** wherein it has been held that benefit of annual increment, which was to be added on 1st of July every year shall be paid to the employee who got retired on 30th of June of the said year, therefore the present petitioner is also entitled to get the said benefit.

3. It is further submitted by the counsel for the petitioner that the petitioner had filed Writ Petition No.28105/2019 (after 9 years of retirement) for grant of increment, which became due on 1st of July, 2002. The said writ petition was decided by order dated 22.07.2020 with a direction to the respondents to decide the representation. The representation made by the petitioner was rejected by order dated 22.10.2020.

4. Thus, it is clear that first of all the petitioner approached this Court after 9 years and after rejection of his representation, he kept quite and now he has filed this writ petition after 13 years of his retirement.

5. Considering the aforesaid and taking note of the judgment passed by the Supreme Court in case of **C.P. Mundinamani (supra)**, this petition is allowed.

6. It is directed that the petitioner is entitled for the benefit of annual increment, which was to be added with effect from 1st of July.

7. Accordingly, the respondents are directed to recalculate the retiral dues and pension and issue fresh PPO in favour of the petitioner within a period of three months from the date of submitting copy of this order.

8. However, the petitioner had superannuated on 30.06.2010, thus the petitioner was a fence sitter and he did not approach the Court and it is well established principle of law

Signature Not Verified
Signed by: TRUPTI GUNJAL
Signing time: 26-07-2023
18:55:17

that the Court can deny relief to similarly situated person, who was not vigilant for his rights and approached the Court by waking up only after the rights of vigilant litigants were adjudicated by the court.

9. Since the petitioner was a fence-sitter, therefore by extending the benefit of the judgment passed by the Supreme Court in the case of **The Director (Admn. and HR KPTCL) (supra)**, it is held that the petitioner shall not be entitled for arrears but shall only be entitled for refixation of pension payable in future.

10. With aforesaid, the petition stands **allowed**.

(G.S. AHLUWALIA)
JUDGE

TG/-

Signature Not Verified
Signed by: TRUPTI GUNJAL
Signing time: 26-07-2023
18:55:17